नियम 50 : प्राप्ति वाउचर

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राप्ति वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात्,–

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण – हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे ''–'' और ''/'' क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ड.) मालों और सेवाओं का वर्णन;

अग्रिम ली गई रकम;

(छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);

(झ) राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्यि के क्रम में प्रदाय की दशा में;

क्या कर आरक्षित भार आधार पर देय है; और

(ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।

परन्तु अग्रिम की प्राप्ति के समय,–

(i) कर की दर अवधार्य नहीं है, कर 18 प्रतिशत् की दर पर संदेय किया जाएगा;

(ii) प्रदाय की प्रकृति अवधार्य नहीं है, उसके अन्तरराज्यीय प्रदाय के रूप में माना जाएगा।